



दि एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल, मालवीय नगर, भोपाल

Phone: 2551807/2551652/2551756/2556857; FAX 2557305
Email: mpagro_bpl@airtelmail.in

वर्ष 2011-12 में
निगम के माध्यम से
हल्दी, अदरक, लहसुन के
ओपन पालीनेटड सत्यरूप बीजो
के प्रदाय हेतु
रेट कान्ट्रैक्ट आफर डाक्यूमेंट
(आरसीओ)

उपमहाप्रबंधक (उद्यान)

दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2011-12 में निगम के माध्यम से हल्दी, अदरक, लहसुन के ओपन
पालीनेटड सत्यरूप बीजो के प्रदाय हेतु रेट कान्ट्रैक्ट आफर डाक्यूमेंट (आरसीओ)

आरसीओ प्राप्त करने की निर्धारित समय सीमा

दिनांक 6.5.2011

अपरान्ह 1.00 बजे तक

पूर्ण आरसीओ टेण्डर बाक्स में प्रस्तुत करने की

दिनांक 6.5.2011

निर्धारित समय सीमा

अपरान्ह 2.00 बजे तक

आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत आरसीओ खोलने की तिथि

लिफाफा क्र.1 दि. 6.5.2011

सायं 2.30 बजे

जो आफर लिफाफा क्रमांक 1 में प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर मान्य होंगे
उनका लिफाफा क्र. 2 खोलने की जानकारी निगम मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर
चस्पा की जायेगी

उप महाप्रबन्धक (उद्यान)

मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
भोपाल

दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2011-12 में निगम के माध्यम से हल्दी, अदरक, लहसुन के ओपन पालीनेटड सत्यरूप
बीजो के प्रदाय हेतु आरसीओ

दूरभाष क्रमांक (0755)- 2551652, 2551756, 2551807 फ़ैक्स नम्बर 0755-2557305

Email: mpsaidc@sancharnet.in Website - www.tenders.gov.in

आरसीओ क्र. मुख्या/उद्यान/2011-12/

दिनांक

आरसीओ दस्तावेज का मूल्य

रु. 500.00 प्रति आरसीओ

रु. 550.00 (डाक द्वारा मंगवाने पर)

मेसर्स से आरसीओ
दस्तावेज का मूल्य राशि रूपये शब्दों में
..... मनीरसीद क्रमांक दिनांक
से प्राप्त किये गये ।

उप महाप्रबन्धक (उद्यान)
मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
भोपाल

राशि रूपये 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर मान्य

प्रपत्र क्रमांक-1

दि एम.पी.स्टेट एगो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2011-12 में निगम के माध्यम से हल्दी, अदरक, लहसुन के ओपन पालीनेटड
सत्यरूप बीजों के प्रदाय हेतु आरसीओ बाबत सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र

मैंमेसर्सकी ओर से जो निगम द्वारा आमंत्रित आरसीओ में हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत हूँ । निगम के आरसीओ में उल्लेखित शर्तों के अनुसार हल्दी, अदरक, लहसुन के ओपन पालीनेटड सत्यरूप बीजों के प्रदाय करने हेतु सहमत हूँ ।

एम पी स्टेट एगो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (निगम) द्वारा हमारे ऑफर को मान्य किये जाने की दशा में आदेशानुसार अनुबंध की समय सीमा में निर्धारित शर्तों एवं मापदण्ड अनुसार निर्धारित दरों पर आदेशित सामग्री समस्त मध्य प्रदेश में प्रदाय हेतु मैं/हम सहमत है । हम आरसीओ की सभी शर्तों से सहमत हैं एवं तदानुसार प्रदायगी का कार्य करेंगे । यदि अनुबंध उपरांत निगम द्वारा दिये गये आदेशों से संबंधित प्रदायगी में किसी प्रकार की शिकायत आती है अथवा आरसीओ की शर्तों का उल्लंघन होने से निगम को अथवा उनके हितग्राहियों को हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति निगम हमारे द्वारा जमा की जा रही धरोहर राशि रूपये 50,000/- एवं हमारे बिलों से कर सकता है ।

हमारी फर्म किसी भी शासकीय संस्था/उपक्रम/बैंक द्वारा काली सूची में दर्ज नहीं है तथा हमें न ही कभी प्रदाय के लिये दंडित किया गया है । इस संबंध में कोई भी कानूनी विवाद किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है ।

संकल्प धन राशि रूपये 50,000/- प्रस्तुत की जा रही है, जो हमारा ऑफर मान्य होने की दशा में मैं धरोहर राशि के रूप में निगम के पास जमा रहेगी ।

हमारे द्वारा आरसीओ की सभी नियम एवं शर्तों को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया गया है एवं हम तदानुसार सभी शर्तों पर पूर्ण रूप से सहमत हैं ।

दिनांक :

ऑफरकर्ता के हस्ताक्षर
एवं सील

गवाह

..... (हस्ताक्षर)

.....

नाम एवं पता

दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2011-12 में निगम के माध्यम से हल्दी, अदरक, लहसुन के ओपन पालीनेटड सत्यरूप बीजो के प्रदाय हेतु आरसीओ

निगम द्वारा निर्धारित ओपन एंडेड रेट कान्ट्रैक्ट आफर डाक्यूमेंट में दरें आमंत्रित की जाती है, इस दस्तावेज को आरसीओ के नाम से जाना जावेगा ।

निगम सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में हल्दी, अदरक, लहसुन के ओपन पालीनेटड सत्यरूप बीजो के प्रदाय हेतु ऑफर आमंत्रित किये जाते है । ऑफर से संबंधित सामान्य शर्तें निम्नानुसार है :-

1. आफर प्रस्तुत करने की आहर्ता

ऑफरकर्ता जो निम्नानुसार शर्तें पूरी करता हो :-

- 1.1 बीज उत्पादक जिनके पास सीड एक्ट 1966 तथा सीड कन्ट्रोल आर्डर 1983 के अनुसार बीज विक्रय का वैध लायसेंस हो ।
- 1.2 हल्दी, अदरक, लहसुन के उत्पादन हेतु जिनके द्वारा आधार बीज किसी शासकीय संस्था/विभाग यथा कृषि विश्वविद्यालय, बीज निगम, उद्यान विभाग अथवा शासन से मान्यता प्राप्त अनुसंधान केन्द्र एन.एच. आर.डी.एफ. इत्यादि से क्रय करते हुये उत्पादन कार्यक्रम लिया गया हो ।
- 1.3 उत्पादक/प्रदायक के द्वारा जिन कृषकों के यहां सत्यरूप बीज का कार्यक्रम लिया गया है, उसका पूर्ण विवरण मय खसरा सहित जानकारी संबंधित जिले के उद्यानिकी विभाग से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत की जाना आवश्यक है ।
- 1.4 उक्तानुसार 1.1 से 1.3 तक आहर्ता की पूर्ति करने वाले बीज उत्पादक द्वारा नियुक्त वितरक जिनके पास सीड एक्ट 1966 तथा सीड कन्ट्रोल आर्डर 1983 के अनुसार बीज विक्रय का वैध लायसेंस हो ।
- 1.5 वितरक होने की दशा में निगम के रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर में भाग लेने हेतु उत्पादक द्वारा जारी वैध अधिकार पत्र होना आवश्यक है (अधिकार पत्र मूल प्रति में प्रस्तुत किया जाना होगा) ।
- 1.6 उत्पादक/प्रदायक द्वारा जिन सत्यरूप बीजों की दरें प्रस्तुत की जायेगीं, उन बीजों का प्रदाय मान्य करने के पूर्व प्रदायक द्वारा शासकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न की जानाहोगी ।
- 1.7 आफरकर्ता के आयकर नम्बर (PAN) एवं विक्रय कर विभाग द्वारा जारी टिन (TIN) की स्वप्रमाणित प्रति ।
- 1.8 आफरकर्ता द्वारा जिन सत्यरूप बीजों की दरें प्रस्तुत की जावेगी उनके 3-3 सेम्पल भी प्रस्तुत किये जाने अनिवार्य है । सेम्पल के अभाव में दरों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

2. आरसीओ का क्रय

2.1 (अ) निर्धारित आरसीओ दस्तावेज का मूल्य रू. 500.00 (वापसी योग्य नहीं) एवं डाक से मंगाये जाने पर 550.00 रूपये होगा । डाक में किसी प्रकार के विलंब की स्थिति में निगम उत्तरदायी नहीं रहेगा ।

(ब) उक्त कार्यालय के उप महाप्रबन्धक (उद्यान) मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम से दिनांक 6.5.2011 अपरान्ह 1.00 बजे तक क्रय किये जा सकते हैं । इस अवधि के पश्चात बिन्दु क्रमांक 2 में उल्लेखानुसार भी आरसीओ दस्तावेज प्राप्त कर प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

(स) आरसीओ में भाग लेने वाले आफरकर्ताओं को निर्धारित आरसीओ क्रय किया जाना अनिवार्य है । विधिवत रूप से आरसीओ समय पर प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में आफर पर विचार नहीं किया जावेगा ।

3. दर प्रस्तुत करने संबंधी शर्त

(अ) ऑफरकर्ता द्वारा प्रत्येक हल्दी, अदरक, लहसुन के ओपन पालीनेटड सत्यरूप बीजो के प्रदाय हेतु प्रजातिवार दर परिशिष्ट क्रमांक 2 अनुसार दिया जाना आवश्यक है ।

(ब) ऑफरकर्ता द्वारा निगम को जो दर प्रस्तुत की जावेगी वह 5 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ.ओ.आर. विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर सभी प्रकार के व्यय सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश हेतु दी जावेगी ।

(स) ऑफरकर्ता द्वारा जो दर निगम को ऑफर की गयी है वह आरसीओ की शर्त क्रमांक 19 के तहत न्यूनतम होना आवश्यक है ।

(द) आरसीओ के तहत अनुमोदित दर 31 मार्च 2012 एवं यदि आवश्यक हुआ तो निगम अनुबंधित दरों की वैधता अवधि में वृद्धि कर सकता है, जिससे प्रदायक को मान्य किया जाना होगा ।

(ड) ऑफरकर्ता द्वारा दरें अंकों में एवं शब्दों में दिया जाना आवश्यक है । अंकों एवं शब्दों में अंतर की दशा में शब्दों में दी गयी दर को मान्य किया जावेगा ।

4. आफर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

(अ) एक आफरकर्ता से एक ही आफर स्वीकार किया जावेगा । एक ही आफरकर्ता द्वारा निगम में एक से अधिक फर्मों की ओर से एक ही अथवा अन्य नामों से भाग लिये जाने की जानकारी निगम को प्राप्त होने की दशा में आफरकर्ता द्वारा इस तरह प्रस्तुत सभी आफर अमान्य किये जायेंगे ।

(ब) टेलीग्राफ/फैक्स से प्रस्तुत ऑफर मान्य नहीं किये जावेंगे ।

(स) वित्तीय ऑफर आरसीओ का निर्धारित प्रारूप में परिशिष्ट क्रमांक 2 के अनुसार होना आवश्यक है । शर्त क्रमांक 4 (ड) तथा आरसीओ में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार सभी वांछित जानकारियां/दस्तावेज

संलग्न किया जाना आवश्यक है । वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न किये जाने की दशा में परिशिष्ट क्रमांक 1 के आधार पर आफरकर्ता के ऑफर को निरस्त किया जावेगा ।

- (द) आरसीओ सभी प्रकार से पूरा भरा हुआ होना चाहिए । आरसीओ से साथ संकल्प धन राशि के रूप में राशि रूपये 50,000/- (मात्र पचास हजार रूपये केवल) का बैंक ड्राफ्ट जो एम पी स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भोपाल देय हो संलग्न होना आवश्यक है । (ऐसे ऑफरकर्ता जिनके द्वारा निगम मुख्यालय में हायब्रिड सब्जी बीजों के प्रदाय हेतु पूर्व वर्ष में आमंत्रित निविदा के तहत धरोहर राशि रूपये 50,000/- जमा कराई गई है एवं वर्तमान में उनकी उक्त धरोहर राशि निर्विवादित निगम में जमा है को प्रथक से संकल्प धन राशि जमा करना आवश्यक नहीं है ऐसे प्रदायक पूर्व में जमा संकल्प धन राशि का विवरण यथा मनीरसीद क्रमांक एवं दिनांक का पूर्ण विवरण ऑफर में प्रस्तुत करेंगे) । धरोहर राशि के आभाव में कोई भी आफर किसी भी स्थिति में मान्य नहीं किया जावेगा ।

- (ड) ऑफर दो अलग अलग लिफाफो यथा – “लिफाफा क्रमांक 1 तकनीकी विवरण” तथा “लिफाफा क्रमांक 2 वित्तीय आफर” के रूप में प्रस्तुत किया जाना है ।

लिफाफा 1 में प्रस्तुत किये जाने वाले वाले दस्तावेजों का विवरण –

1. प्रपत्र क्रमांक-1 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में रूपये 100.00 के स्टाम्प पेपर पर सहमति ।
2. वैध सीड्स सेलिंग लायसेंस की स्व: प्रमाणित प्रति ।
3. बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु उपयोग में लाये गये आधार बीज के स्रोत की जानकारी एवं उसकी पुष्टि से संबंधित दस्तावेज (आधार बीज के क्रय के देयक/केश में) की स्व: प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की जा सकती हैं)
शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था, शासन से मान्यता प्राप्त अनुसंधान केन्द्र अथवा विश्व विद्यालय के क्रय बिल भी मान्य किये जायेंगे ।
4. ऑफरकर्ता का वाणिज्य कर, टिन का विवरण ।
4.1 ऑफरकर्ता का आयकर विभाग का पंजीयन (पेन)
5. ऑफरकर्ता फर्म की ओर से आफर/दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने हेतु अन्य को दिये गये अधिकार पत्र की मूलप्रति ।
6. शर्त क्रमांक 1 के उल्लेख अनुसार वांछित दस्तावेजों की स्व: प्रमाणित प्रति ।
7. रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर डाक्युमेंट सभी पृष्ठों पर सील एवं हस्ताक्षर सहित ।
8. संकल्प धन राशि रूपये 50,000/- शर्त क्रमांक 8 के अनुसार ।

9. ऑफरकर्ता फर्म का नाम किसी भी शासकीय विभाग निगम मंडल एवं किसी बैंक द्वारा कालीसूची में दर्ज नहीं है और न ही किसी प्रकार का कानूनी विवाद है, इस आशय का घोषणा पत्र ।

लिफाफा क्र. 1 के ऊपर स्पष्ट शब्दों में ऑफरकर्ता द्वारा प्रत्येक “लिफाफा क्रमांक 1, संकल्प धन राशि एवं अन्य तकनीकी विवरण हल्दी, अदरक, लहसुन के लिये आफर” साफ साफ लिखा जावे ।

लिफाफा क्रमांक 2 में परिशिष्ट क्र. 2 के अनुसार वित्तीय आफर विधिवत हस्ताक्षर करते हुए । लिफाफा क्रमांक 2 के ऊपर स्पष्ट शब्दों में “लिफाफा क्रमांक 2 वित्तीय आफर हल्दी, अदरक, लहसुन के लिये आफर” लिखा जावे ।

उक्त दोनो लिफाफे आपस में बांधकर निर्धारित आफर बाक्स में नियत तिथि 6.5.2011 के अपरान्ह 2.00 बजे के पूर्व निगम के उद्यानिकी कक्ष में रखे ये टेण्डर बाक्स में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है ।

5. आफर का खोला जाना

आफरकर्ताओं द्वारा निर्धारित आफर बाक्स में दिनांक 6.5.2011 अपरान्ह 2.00 बजे तक जो आरसीओ प्राप्त होंगे, में से लिफाफा क्रमांक 1 दिनांक 6.5.2011 को सांय 2.30 बजे एक समिति द्वारा उपस्थित आफरकर्ताओं अथवा उनके मनोनीत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे ।

लिफाफा क्रमांक 1 के आधार पर योग्य पाये गये आफरकर्ताओं के लिफाफा क्रमांक 2 समिति के निर्णय अनुसार आफरकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोले जावेंगे । लिफाफा क्र. 2 खोलने की तिथि एवं समय की जानकारी निगम के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी व आफरकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों द्वारा जानकारी लेने पर दी जा सकेगी ।

6. सैंपल प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :

आफरकर्ता द्वारा जिन हल्दी, अदरक, लहसुन के ओपन पालीनेटड सत्यरूप बीजों प्रजातियों की दरें आफर की जायेगी, से संबंधित बीजों के तीन-तीन सेम्पल प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । ऑफरकर्ता द्वारा सत्यरूप बीजों के सम्बन्ध में शासकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला से परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न की जाना अनिवार्य है ।

आफरकर्ता द्वारा सेम्पल प्रस्तुत न किये जाने की दशा में संबंधित बीज प्रजाति का आफर मान्य नहीं किया जायेगा । जमा किये गये सेम्पल वापस नहीं किये जायेंगे ।

7. सशर्त आफर –

निगम द्वारा निविदा पत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की शर्त मान्य नहीं की जावेगी । सशर्त आफरो को अमान्य किया जावेगा ।

8. संकल्प धन राशि—

आफरकर्ता को आफर के साथ संकल्प धन राशि के रूप में रू. 50,000/— का बैंक ड्राफ्ट जो एम पी स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के नाम से भोपाल देय होगा, प्रस्तुत करना आवश्यक है । संकल्प धन राशि के अभाव में प्रस्तुत आफर अमान्य किया जायेगा । (ऐसे ऑफरकर्ता जिनके द्वारा निगम मुख्यालय में हायब्रिड सब्जी बीज प्रदाय हेतु पूर्व वर्ष में आमंत्रित निविदा के तहत जमा संकल्प धन राशि जो अनुबंध पश्चात धरोहर राशि के रूप में परिवर्तित की जा चुकी है एवं वर्तमान में उक्त धरोहर राशि निर्विवादित निगम में जमा है को प्रथम से संकल्प धन राशि जमा करना आवश्यक नहीं है ऐसे प्रदायक पूर्व में जमा संकल्प धन राशि का विवरण यथा मनीरसीद क्रमांक एवं दिनांक का पूर्ण विवरण आरसीओ में प्रस्तुत करेंगे) ।

संकल्प धनराशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-

1. निगम द्वारा ऑफरकर्ता के ऑफर को स्वीकृत/अमान्य/निरस्त करने के पूर्व अपना ऑफर वापस लिये जाने की दशा में।
2. ऑफर के साथ गलत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने की दशा में।
3. ऑफरकर्ता द्वारा ऐसी कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छबि को हानि पहुंचे।

9. ऑफर की वैधता :

प्राप्त ऑफर खोले जाने की तिथि से 180 दिवस तक मान्यता हेतु वैध रहेंगे । अंतिम निर्णय न होने की दशा में इस तिथि के पश्चात भी निगम प्राप्त दरों पर आवश्यक निर्णय ले सकेगा यदि आफरकर्ता ने प्रस्तुत दरों को अमान्य करने हेतु लिखित में निगम को सूचित नहीं किया है ।

10. अनुबंध का निष्पादन—

- (अ) निगम द्वारा लिफाफा क्रमांक 2 के आधार पर योग्य पाये गये आफरकर्ता जिसका आफर निगम द्वारा मान्य किया जावेगा, को निगम के साथ निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट क्र. 3) अनुसार राशि रूपये 100/— के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा अनुबंध को नोटराइज कराया जाना अनिवार्य है ।
- (ब) निगम द्वारा जिन आफरकर्ताओं के ऑफर को मान्य किया जावेगा, को अनुबंध निष्पादित करने हेतु विधिवत सूचना दी जावेगी । यदि ऑफरकर्ता द्वारा निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में निगम के साथ अनुबंध निष्पादित नहीं किया जाता है तो निगम उनके ऑफर को अमान्य करते हुए जमा संकल्प धन राशि को जप्त (Forfite) करने के लिए स्वतंत्र रहेगा ।
- (स) अनुबंध 31 मार्च 2012 तक अथवा निगम द्वारा नवीन दरों के निर्धारण तक जो भी बाद में हो तक वैध रहेगा ।

11. **धरोहर राशि :**

- (अ) ऑफरकर्ता द्वारा संकल्प धन राशि के रूप में जमा की गयी राशि रूपये 50,000/- ऑफरकर्ता के अनुबंध हस्ताक्षरित करने के पश्चात् धरोहर राशि के रूप में निगम के पास अनुबंध की प्रभावशीलता लागू होने तक जमा रहेगी ।
- (ब) अनुबंध की प्रभावशीलता अवधि में कोई विवाद न होने की दशा में प्रदायक द्वारा लिखित में मांगे जाने पर धरोहर राशि बिना ब्याज के वापस की जा सकेगी ।
- (स) धरोहर राशि निम्न स्थितियों में जप्त की जा सकती है :-
- (1) निगम आदेश के विरुद्ध निर्धारित समय सीमा में आदेशित सामग्री प्रदाय न किये जाना ।
 - (2) प्रदाय सामग्री की गुणवत्ता निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप न होने की दशा में ।
 - (3) प्रदायक द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही करने पर जिससे निगम की छवि को हानि पहुंचे/निगम को कोई व्यवसायिक हानि हो ।

12. **बीजों के सेम्पल एवं निरीक्षण -**

- (अ) प्रत्येक लाट से नियमानुसार सेम्पल प्राप्त कर किसी भी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में बीज सेम्पलों की जांच करवाई जायेगी । बीज के सेम्पलों की जांच का व्यय प्रदायक द्वारा वहन किया जायेगा ।
- (ब) निगम को यह अधिकार होगा कि जो हल्दी, अदरक, लहसुन के ओपन पालीनेटड सत्यरूप बीज प्रदाय होना है, के संबंध में पैकिंग आदि के कार्य का निरीक्षण कर सके । ग्रेडिंग एवं पैकिंग आदि की सुविधा के संबंध में प्रदायक को जानकारी उपलब्ध करानी होगी ।
- निगम द्वारा क्रय किये जाने वाले सत्यरूप बीज की पैकिंग निगम के जिला प्रबंधक एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा अधिकृत व्यक्ति की देखरेख एवं मार्गदर्शन में किया जायेगा ।
- (स) प्रदायक को सीड एक्ट 1966 एवं सीड्स कन्ट्रोल रूल 1983 के अनुसार निर्धारित मानकों के बीज प्रदाय किया जाना आवश्यक है ।
- (द) बीजों की पैकिंग, शुद्धता, अंकुरण आदि की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रदायक की रहेगी। किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर प्रदायक द्वारा समय सीमा में शिकायत का निराकरण किया जावेगा । आदेशित सामग्री के प्राप्तकर्ता को नुकसान की भरपाई करने हेतु प्रदायक उत्तरदायी रहेंगे जो किसी भी रूप में हो सकती है ।
- (ई) निगम को, प्रदायित सामग्री के सीड एक्ट के अनुसार निर्धारित मापदण्ड पूरे करने के बावजूद भी, निम्न स्थितियों में प्राप्त सामग्रियों को अस्वीकृत किया जा सकेगा :-
1. बीज भीगा होने पर ।
 2. प्रदायित बीज अशुद्ध होने पर ।
 3. अंकुरण क्षमता के संबंध में प्राप्त शिकायत के प्रमाणित होने पर ।

4. निगम द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में जांच कराये जाने पर गुणवत्ता निर्धारित मानक स्तर से कम रहने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ।
5. बीज घुना होने की दशा में ।
6. वांछित पैकिंग न होने अथवा पैकिंग खुली/फटी होने की दशा में ।

13. **पैकिंग**

- (अ) बीजों की पैकिंग सीड एक्ट/सीड कन्ट्रोल आर्डर एवं सीड सर्टिफिकेशन के अनुसार होना आवश्यक है । सीड पैकेट पर उक्त से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होना चाहिए ।
- (ब) सब्जी बीज की पैकिंग उपयोगकर्ता विभाग के चाहे अनुसार होना आवश्यक है । बीज पैकिंग का समस्त व्यय आफरकर्ता द्वारा वहन किया जायेगा ।

14. (अ) निगम द्वारा अनुबंधित प्रदायकों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे निगम द्वारा अनुमोदित दरों पर राज्य के शासकीय विभागों/शासकीय उपक्रमों को निगम के माध्यम से ही विधिवत प्रदाय आदेश के जारी होने के उपरांत ही प्रदाय करेंगे । किसी अन्य शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं के माध्यम से प्रदाय किया जाता है तो ऐसे प्रदाय के पूर्व निगम को तीन दिन पूर्व जानकारी देना आवश्यक होगा जिससे निगम अपने रिकार्ड में आवश्यक पृविष्टि कर सके तथा प्रदायक केवल उसी मात्रा में प्रदेश के कृषकों को प्रदाय करे, जिसको प्रदाय करने के लिये वे अधिकृत है । यदि यह पाया जाता है कि प्रदायक द्वारा बिना निगम को जानकारी दिये किसी अन्य विभाग के माध्यम से प्रदाय किया है तथा यह प्रदाय प्रदायक के लिये मान्य अधिकृत मात्रा से अधिक है तो निगम ऐसे प्रदायक की अनुमोदित दरों को निरस्त करते हुये जाम धरोहर राशि को जप्त कर सकेगा तथा ऐसे प्रदायक को आगामी 3 वर्ष के लिये प्रदाय से वंचित भी कर सकेगा ।
- (ब) बिना विधिवत निगम आदेश के प्रदायक द्वारा सीधे विभागों को प्रदायगी किये जाने की स्थिति में प्रदायक सामग्री के भुगतान/गुणवत्ता या प्रदायगी से उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निगम जिम्मेदार नहीं रहेगा । ऐसे प्रकरणों में प्रदाय को स्वीकार करना एवं पुष्टि आदेश जारी करने के लिये निगम के प्रबंध संचालक निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र रहेंगे जो प्रदायकर्ता पर बंधनकारी होकर उसे मान्य करना होगा ।

15. **बीज प्रदाय हेतु निर्धारित प्रक्रिया एवं समय सीमा :**

- (अ) ऑफरकर्ता द्वारा निगम आदेश के 20 दिवस के भीतर निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से आदेशानुसार निर्धारित स्थान पर सामग्री प्रदाय किया जाना आवश्यक है । आवश्यकतानुसार यह सीमा घटाई भी जा सकती है ।
- (ब) आदेशित मात्रानुसार सामग्री निगम के जिला कार्यालय के माध्यम से निर्धारित विभाग/स्थान तक पहुंचाने की समस्त जवाबदारी संबंधित प्रदायक की रहेगी ।
- (स) प्रदायक द्वारा निर्धारित समय सीमा में सामग्री प्रदाय न किये जाने की दशा में संबंधित कन्साइमेंट प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति से ही मान्य किया जा सकेगा ।
- (द) प्रदायक द्वारा यदि प्रदायगी में विलंब किया जाता है एवं विलंब के कारण विभाग/निगम को हानि होती है तो इस हानि के लिए प्रदायक की जवाबदारी होगी, जिसकी वसूली निगम प्रदायक की सुरक्षा निधि एवं भुगतान हेतु निगम में प्रस्तुत अन्य देयकों से की जावेगी । हानि की राशि का निर्धारण निगम के प्रबंध संचालक द्वारा किया जावेगा जिसे ऑफरकर्ता द्वारा मान्य किया जावेगा ।
- (इ) निगम द्वारा सत्यरूप बीजों के प्रत्येक लॉट में से सैम्पल प्रदायक/उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में लिये जायेंगे, तथा सैम्पल का परीक्षण शासकीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला अथवा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला में करवाया जायेगा ।

16. **आदेश की प्रक्रिया**

- (अ) निगम द्वारा उद्यान विभाग/अन्य विभागों से प्राप्त मांग के आधार पर आदेश जारी किये जायेंगे ।
- (ब) निगम द्वारा जारी आदेश में उल्लेखित प्रदायगी की तिथि/स्थल में प्राप्तकर्ता विभाग द्वारा परिवर्तन किया जाता है तो लिखित सूचना प्रदायक को दी जावेगी । प्रदायक द्वारा नवीन शेड्यूल के मान से सब्जी बीज निर्धारित दर पर प्रदाय करने होंगे । उक्तानुसार परिवर्तन होने पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान निगम द्वारा प्रदायक को नहीं किया जावेगा ।
- (स) परिवहन के दौरान सामग्री को आग, चोरी, एक्सीडेंट, टूटफूट आदि किसी भी प्रकार से हुए नुकसान की जवाबदारी प्रदायक की रहेगी । इस प्रकार से हुए नुकसान की भरपाई हेतु प्रदायक उत्तरदायी रहेंगे ।

17. **कन्साइनमेंट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार**

प्रदायक को आदेशानुसार निर्धारित मापदण्ड की बीज निर्धारित पैकिंग में निर्धारित समय सीमा में प्रदाय किया जाना आवश्यक है । निम्न स्थितियों में प्रदायक द्वारा भिजवाया गया कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जा सकता है –

- (अ) बीज निर्धारित मापदण्ड अनुसार न होने की दशा में ।
 (ब) उचित/निर्धारित पैकिंग न होने की दशा में ।
 (स) निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के पश्चात् कन्साइनमेंट प्राप्त ।
 (द) शर्त क्र 12 (ई) में उल्लेखित परिस्थितियों में ।

यदि उक्त कारणों के आधार पर कन्साइनमेंट अस्वीकृत किया जाता है तो उसे निगम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रदायक को स्वयं के व्यय पर वापिस लेना होगा तथा किसी भी स्थिति में निगम इसके लिये उत्तरदायी नहीं होगा ।

18. **भुगतान**

निगम द्वारा “भुगतान पश्चात् भुगतान” की शर्त अनुसार निम्न प्रकार से प्रदायक के देयकों का भुगतान किया जावेगा :-

- (अ) प्रदायक के देयक की 80 प्रतिशत राशि का भुगतान आदेशानुसार प्रमाणित बीज निर्धारित स्थान पर प्रदायगी उपरांत नियमानुसार पावती एवं देयक प्रस्तुत किये जाने पर एवं संबंधित विभाग से निगम को राशि प्राप्त होने की दशा में सामान्यतः 30 दिवस में किया जावेगा ।
 (ब) देयक की शेष 20 प्रतिशत राशि का भुगतान देयक के विरुद्ध प्रदायित प्रमाणित बीज के संबंध में संबंधित विभाग से संतुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत राशि प्राप्ति के आधार पर सामान्यतः 120 दिवस में किया जावेगा ।

19. आफरकर्ता द्वारा जो दरें निगम को प्रस्तुत की हैं वे दरें न्यूनतम होना आवश्यक हैं । निगम के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के प्रभावशील रहने तक आफरकर्ता द्वारा किन्हीं अन्य संस्थाओं/व्यक्ति/शासन/शासकीय उपक्रम अथवा म.प्र. की अन्य किसी संस्था को प्रमाणित सब्जी बीज का प्रदाय इस निगम से अनुबंधित प्रदाय दरों से कम दर पर प्रदाय किये जाने की जानकारी निगम के संज्ञान में आती है तो प्रदायक द्वारा अनुबंध दिनांक से उक्त स्थिति के प्रमाणित होने तक प्रदाय की गई समस्त सामग्री पर वही दर लागू मानते हुये अंतर की राशि की वसूली की जावेगी साथ ही निगम प्रदायक के अनुबंध को निरस्त करते हुए प्रदायक की धरोहर राशि जप्त करने की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेगा जिसके लिए प्रदायक उत्तरदायी रहेंगे ।

20. आफरकर्ता द्वारा आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा कि उनके द्वारा आरसीओ को भलीभांति पढ लिया गया है एवं सभी शर्तों पर सहमत होकर उनके द्वारा आफर प्रस्तुत किया गया है ।

21. आरसीओ के तहत निर्धारित शर्तों के उल्लंघन किए जाने अथवा किसी भी प्रकार की गलत जानकारी /दस्तावेज दिए जाने की दशा में एवं इस बाबत निगम के प्रबन्ध संचालक आफरकर्ता द्वारा प्रस्तुत/स्वीकृत आफर को निरस्त करते हुए उनके द्वारा जमा की गई संकल्प धन राशि/धरोहर राशि जप्त करने के अधिकारी रहेगे । प्रबन्ध संचालक का निर्णय अंतिम होकर बंधनकारी होगा ।

22. राज्य शासन की नीति के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आफरकर्ता जिनके द्वारा जिला उद्योग केन्द्र में विशेष पंजीयन से संबंधित सर्टिफिकेट/अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया जायेगा एवं जो निविदा शर्तों के अनुरूप योग्य पाये जावेगे, को निर्धारित नीति अनुसार व्यवसाय में न्यूनतम 30 प्रतिशत की भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी ।
23. प्रदायक द्वारा प्रदाय सामग्री से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त होने पर शिकायत के निराकरण के संबंध में प्रदायक स्तर से कार्यवाही की जाना होगी ।
24. प्रदायक एवं निगम के बीच यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो प्रकरण निगम के उपमहाप्रबंधक (उद्यानिकी) को प्रस्तुत किया जावेगा, उनके निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण निगम के प्रबन्ध संचालक को आरबीट्रेटर के रूप में प्रस्तुत किया जावेगा । आरबीट्रेटर के निर्णय से असंतुष्ट होने की दशा में प्रकरण भोपाल जिले के लिये सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकेगा ।
25. निगम के प्रबन्ध संचालक आरसीओ की किसी भी शर्त में आंशिक/पूर्ण परिवर्तन/ संशोधन/निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगे ।

उपमहाप्रबंधक(उद्यान)

आफरकर्ताओं को निर्देश—

आफरकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रेक्ट आफर निम्नांकित परिस्थितियों में निरस्त किया जा सकता है —

1. रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट नियमानुसार निगम से क्रय न किये जाने की दशा में ।
2. आर्हता संबंधी शर्त क्र. 1, शर्त क्र 4 (ड) तथा रेट कान्ट्रेक्ट आफर डाक्यूमेंट में अन्यत्र कहीं भी उल्लेखानुसार वांछित जानकारी प्रस्तुत न किए जाने की दशा में ।
3. आफर की शर्त क्र. 8 के अनुसार धरोहर राशि रू. 50,000 /— जमा न किये जाने की दशा में ।
4. सशर्त आफर होने की दशा में ।
5. परिशिष्ट क्र. 2 के अनुसार दर प्रस्तुत न किए जाने की दशा में ।
6. शर्त क्रमांक 4 (अ) के अनुसार एक ही आफरकर्ता द्वारा एक या अन्य नामों से एक से अधिक आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में ।
7. एक ही बीज हेतु एक से अधिक दरें आफर किए जाने की दशा में ।
8. निर्धारित समय के पश्चात् विलंब से आफर प्रस्तुत किए जाने की दशा में ।

उपमहाप्रबन्धक(उद्यान)

परिशिष्ट क्रमांक-2

दि एम.पी.स्टेट एग्री इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन
पंचानन भवन, तृतीय मंजिल,मालवीय नगर, भोपाल

वर्ष 2011-12 एवं आगे के लिये निगम के माध्यम से हल्दी, अदरक, लहसुन के
ओपन पालीनेटड सत्यरूप बीजों के प्रदाय हेतु वित्तीय आफर

1. आफरकर्ता का नाम एवं पता
- दूरभाष क्रमांक मोबाईल नं.
2. बीज उत्पादक कंपनी का नाम
एवं पता
- दूरभाष क्रमांक मोबाईल नं.

क्र.	बीज	प्रजाति	प्रदाय दर रूपये प्रति किलो सभी कर एवं 10 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ.ओ.आर. विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर		उपलब्ध करवाई जा सकते वाली मात्रा	रिमार्क
			अंकों में	शब्दों में		
1.	हल्दी					
2.	अदरक					
3.	लहसुन					
4.	धनिया					

आफरकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील

नोट : आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पेपर का प्रयोग करें ।

राशि रु. 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर नोटराइज किया जाना है

परिशिष्ट क्रमांक-3

:: अनुबंध ::

यह अनुबंध आज दिनांक को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे "निगम" कहा जावेगा एवं मेसर्स की ओर से श्री जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगा के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर हल्दी, अदरक, लहसुन के ओपन पालीनेटड सत्यरूप बीज प्रदाय हेतु दिनांक को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) क्रय करते हुए आर.सी.ओ. की सभी शर्तों को मान्य करते हुए आर.सी.ओ. में भाग लिया गया है । आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट्स अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक से प्रदायक के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा प्रदायक की जिन हल्दी, अदरक, लहसुन के ओपन पालीनेटड सत्यरूप बीज हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उल्लेखित है की (आर.सी.ओ.) की निर्धारित शर्तों अनुसार निगम को प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तें एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होंगे । शर्तों एवं नियमों का अनुबंधकर्ता उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से आर सी ओ डाक्यूमेंट अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट में उल्लेखित सभी शर्तें ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्तें अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

उप महाप्रबंधक (उद्यान)

गवाह :

- 1.
- 2.

प्रदायक

- 1.

2.

अनुबंध का परिशिष्ट (अ)

प्रदायक का नाम एवं पता

.....

फोन नम्बर

फैक्स नम्बर

मोबाईल नं.

क्र०	बीज	प्रजाति	प्रदाय दर रूपये प्रति किलो सभी कर एवं 10 प्रतिशत निगम मार्जिन सहित एफ.ओ.आर.विकास खण्ड स्तर तक पहुंचाकर	
			अंकों में	शब्दों में

प्रदायक के हस्ताक्षर
एवं सील

:: अनुबंध ::

यह अनुबंध आज दिनांक 05.06.2009 को मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम जो कि कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित शासकीय उपक्रम है तथा आगे इसे "निगम" कहा जावेगा एवं मेसर्स मॉ शीतला बीज पौधे उत्पादक सहकारिता मर्या. सूरजपुरा (परसेन) जिला ग्वालियर की ओर से श्री हर्ष कुमार सिंग जिनके हस्ताक्षर अनुबंध पर है, जिन्हें आगे प्रदायक कहा जावेगा के बीच निष्पादित किया गया है ।

यह कि निगम द्वारा समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित कर हल्दी, अदरक, लहसुन के ओपन पालीनेटड सत्यरूप बीज प्रदाय हेतु दिनांक को ऑफर आमंत्रित किये गये थे । प्रदायक द्वारा रेट कान्ट्रेक्ट ऑफर (आर.सी.ओ.) क्रय करते हुए आर. सी.ओ. की सभी शर्तों को मान्य करते हुए आर.सी.ओ. में भाग लिया गया है । आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट्स अनुबंध का हिस्सा है ।

निगम द्वारा पत्र क्रमांक दिनांक से प्रदायक के ऑफर को मान्य करते हुए अनुबंध करने बाबत कार्यवाही की गई है ।

निगम द्वारा प्रदायक की जिन हल्दी, अदरक, लहसुन के ओपन पालीनेटड सत्यरूप बीज हेतु दरों को स्वीकृत किया गया है का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उल्लेखित है की (आर.सी.ओ.) की निर्धारित शर्तों अनुसार निगम को प्रदाय करने हेतु सहमत है ।

.2.

निम्नानुसार दस्तावेज/दस्तावेजों में उल्लेखित शर्तें एवं नियम अनुबंध का हिस्सा होंगे एवं अनुबंधकर्ता को मान्य होंगे । शर्तों एवं नियमों का अनुबंधकर्ता उल्लंघन करता है तो निगम पूर्ण रूप से आर सी ओ डाक्यूमेंट अनुसार कार्यवाही करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकारी रहेगा ।

1. आर.सी.ओ. डाक्यूमेंट में उल्लेखित सभी शर्तें ।
2. प्रदायक का सहमति पत्र दिनांक 05.06.2009
3. प्रदायक द्वारा प्रस्तुत रेट कान्ट्रैक्ट ऑफर व अन्य जानकारियां ।

उक्तानुसार उल्लेखित दस्तावेज/दस्तावेजों के उल्लेखित नियम व शर्तें अनुबंध का हिस्सा रहेंगे । अनुबंध के संबंध में निगम के प्रबंध संचालक का निर्णय अंतिम ओर मान्य रहेगा ।

उक्तानुसार विवरण के आधार पर दोनों पक्ष के मध्य अनुबंध उल्लेखित दिनांक को संपादित किया जाता है ।

उप महाप्रबंधक (उद्यान)

गवाह :

- 1.
- 2.

प्रदायक

- 1.